सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2016/00145 दर्ज तिथिः—31.08.2016

1. देवाराम पुत्र फुआराम जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी
.....वादी

बनाम

1. डुंगराराम पुत्र आदुराम
2. बालाराम पुत्र फुआराम
3. चैनाराम पुत्र फुआराम
4. नथूदेवी पत्नी फुआराम
जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी
.....असल प्रतिवादीगण
5. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुडामालानी।
.....तरतीबी प्रतिवादी
7. धापूदेवी पुत्री फुआराम जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी
.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 05.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा पेश कर निवेदन किया गयाः—

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

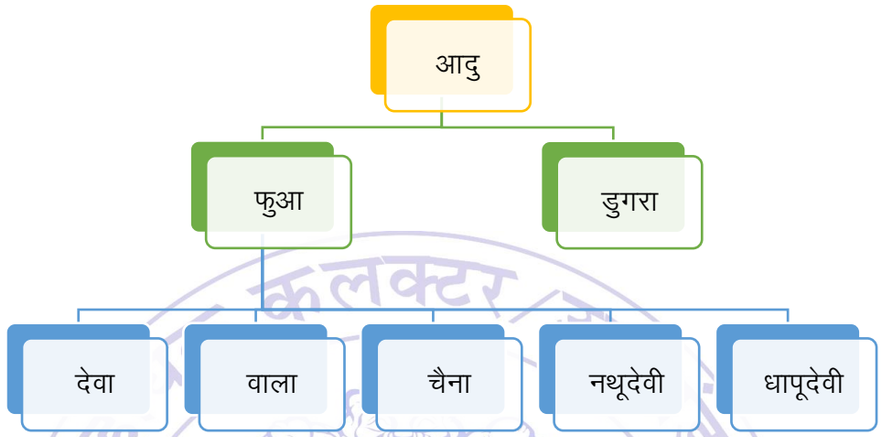

- कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 83 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 39.01 बीघा, खसरा संख्या 107 रकबा 38.14 बीघा कुल रकबा 77.18 बीघा मौजा बांटाडेर पटवार हल्का बाटा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 एक ही परिवार से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या 01 डुगरा पुत्र आदु व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 के पिता फुआ पुत्र आदु आपस में सगे भाई होकर एक ही पिता आदु के वारिस है। आदु की मृत्यु होने के पश्चात विरासत में मुतनाजा संपति फुआ पुत्र आदु को 1/2 हिस्से व डुगरा पुत्र आदु को 1/2 हिस्से में प्राप्त हुई।
- कि मुतनाजा आराजी पर डुगरा पुत्र आदु की संपति से वादी को कोई अनुतोष नहीं है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार फुआ पुत्र आदु की संपति को लेकर वादी व प्रतिवादी के मध्य विवाद है। फुआ पुत्र आदु की मृत्यु के पश्चात संपति विरासत में वादी व प्रतिवादी संख्या 02—04 को बराबर हिस्से में प्राप्त हुई। उक्त मुतनाजा आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 02—04 द्वारा मौके पर तीन हिस्सों में विभाजन कर रखा है। जिस पर देवा, वाला व चैना मौके पर काबिज काश्त है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा माता नथूदेवी पत्नी फुआ को बहला फुसलाकर नथुदेवी के उक्त संपति में 1/10 हिस्से का हकत्याग दिनांक 07.10.2016 केवल प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पक्ष में करवा लिया। हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सहदायक/सहखातेदार हकत्याग के माध्यम से अपना हिस्सा सभी खातेदारों के पक्ष में त्याग कर सकता है और किसी एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

विशिष्ठ सहदायक/सहखातेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं कर सकता है। इस आधार पर नथुदेवी पत्नी फुआ द्वारा अपना हकत्याग वादी, प्रतिवादी संख्या 02—03 व 07 के पक्ष में त्याग किया जाना विधिसंगत था। इस कारण नथुदेवी पत्नी फुआ द्वारा अपना हकत्याग केवल प्रतिवादी संख्या 02—03 के पक्ष में त्याग किया जाना विधिसंगत नहीं होने के कारण हकत्याग दिनांक 07.10.2016 आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है।

- कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02—03 व 07 मौके पर रहवासी ढाणी बनाकर कब्जे काश्त है। परंतु प्रतिवादी संख्या 02—03 अपने पक्ष में गलत हुए हकत्याग के आधार पर वादी को बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण वादी को हकत्याग दिनांक 07.10.2016 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए मुतनाजा आराजी पर 1/8 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है।
- अतः प्रतिवादी संख्या 02—03 अपने पक्ष में गलत हुए हकत्याग के आधार पर वादी को बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण हकत्याग दिनांक 07.10.2016 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए वादी को मुतनाजा आराजी पर 1/8 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 04 ने अपना संपूर्ण 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पक्ष में दिनांक 07.10.2016 को हकत्याग कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा अपने संपूर्ण हिस्से का प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पक्ष में हकत्याग कर देने पर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 का 3/16 व प्रतिवादी सख्या 03 का 3/16 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 04 को उक्त हकत्याग करने का पूर्ण व विधिक अधिकार निहित था। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादी उक्त हकत्याग के अनुसार हस्तांतरण को रूकवाने के अधिकारी नहीं है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का 3/16—3/16 हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंडस खाता विभाजन किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में दिनांक 05.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2051 दिनांक 13.02.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2051 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 02.02.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3045—3048 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3045—3048 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 83 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 39.01 बीघा, खसरा संख्या 107 रकबा 38.14 बीघा कुल रकबा 77.18 बीघा मौजा बांटाडेर पटवार हल्का बाटा तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 83 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 39.01 बीघा, खसरा संख्या 107 रकबा 38.14 बीघा कुल रकबा 77.18 बीघा मौजा बांटाडेर पटवार हल्का बाटा तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देवाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बांटाडेर	107	1.5743 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5743 है0					
चैनाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता SBBJ गुड़ामालानी	5166 / 46902	बांटाडेर	107	4.6902	बा0दो0
डूंगरा पुत्र आदु जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता शाखा PNB गुड़ामालानी	31322 / 46902				
नथू पत्नी फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	5248 / 46902				
वालाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	5166 / 46902				
कुल किता 01 रकबा 4.6902 है0					
चैनाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता SBBJ गुड़ामालानी	10576 / 63293	बांटाडेर	83 84	0.0243 है0 6.3050 है0	गैर मु0 बा0दो0
डूंगरा पुत्र आदू जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता PNB शाखा गुड़ामालानी	31646 / 63293				
नथूदेवी पत्नी फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	10495 / 63293				
वालाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	10576 / 63293				
कुल किता 02 रकबा 6.3293 है0					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2016/00145 दर्ज तिथिः—31.08.2016

1. देवाराम पुत्र फुआराम जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी

.....वादी

बनाम

1. डुंगराराम पुत्र आदुराम
2. बालाराम पुत्र फुआराम
3. चैनाराम पुत्र फुआराम
4. नथूदेवी पत्नी फुआराम

जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुडामालानी।

.....तरतीबी प्रतिवादी

7. धापूदेवी पुत्री फुआराम जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 83 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 39.01 बीघा, खसरा संख्या 107

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 38.14 बीघा कुल रकबा 77.18 बीघा मौजा बांटाडेर पटवार हल्का बाटा तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देवाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बांटाडेर	107	1.5743 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5743 है0					
चैनाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता SBBJ गुड़ामालानी	5166/46902	बांटाडेर	107	4.6902	बा0दो0
डूंगरा पुत्र आदु जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता शाखा PNB गुड़ामालानी	31322/46902				
नथू पत्नी फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	5248/46902				
वालाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	5166/46902				
कुल किता 01 रकबा 4.6902 है0					
चैनाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता SBBJ गुड़ामालानी	10576/63293	बांटाडेर	83 84	0.0243 है0 6.3050 है0	गैर मु0 बा0दो0
डूंगरा पुत्र आदू जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता PNB शाखा गुड़ामालानी	31646/63293				
नथूदेवी पत्नी फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	10495/63293				
वालाराम पुत्र फुआ जाति जाट सा0 देह खातेदार	10576/63293				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 02 रकबा 6.3293 है0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:18 IST
Reason: SelfAttested